# नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org


क्रमांक– /स्थापना प्र.द्वि./2023 खण्डवा, दिनांक– /02/2023

## //कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ–2–06/ 2018/1–55 दिनांक 07.04.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम–2018 के अनुसार नंदकुमार सिंह चौहान, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में साक्षात्कार दिनांक **11/02/2023** में चयन समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी को **महिला चिकित्सा अधिकारी** के पद पर अनन्तिम रूप से पदस्थ किया जाकर वेतनमान रूपये **56,100/–** 7वां वेतनमान अनुसार प्रतिमाह एवं समय–समय पर देय भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आदेशित किया जाता हैं–

| क्र. | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम | श्रेणी | चयनित श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. नेहा श्रीवास्तव | श्री विशाल श्रीवास्तव | अनारक्षित | अनारक्षित |

आपकी नियुक्ति स्वशासी भर्ती नियमों की शर्तों के अधीन निम्नानुसार होगीः–

1. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के अन्दर जिला मेडिकल बोर्ड खण्डवा के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आपका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. चयनित प्रत्याशी को आदेश दिनांक से 07 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होना अन्यथा की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा।
3. आपकी सेवा किसी भी समय अधिष्ठाता, नंदकुमार सिंह चौहान, चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तें देकर समाप्त की जा सकती हैं। आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की आयु अथवा नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष तक, जो पहले हो तक इस स्वशासी महाविद्यालय में सेवाऐं देनी होगी। आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के सकल राशि के बराबर राशि इस स्वशासी महाविद्यालय को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व संहिता के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
4. चयनित प्रत्याशी को पदस्थ स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. आपकी नियुक्ति एक वर्ष की परीवीक्षा पर होगी।
6. चयनित अभ्यर्थी की वरिष्ठता संस्था द्वारा नियुक्ति हेतु तैयार चयन सूची के क्रमानुसार ही रहेगी।
7. इस नियुक्ति में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
8. आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तो में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकेगी।
9. चरित्र प्रपत्र को पूर्ण रूप से अभिप्रमाणित करवा कर उपस्थित दिनांक को संस्था में जमा करना होगा।
10. उपस्थिति के समय स्थापना शाखा में संपूर्ण प्रमाण पत्र, उपाधियों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करानी होगी।
11. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवधित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

12. चयनित चिकित्सक का पी.एम.टी./यू.जी./पी.जी. के संबंधित कांड में किसी स्तर पर कार्यवाही लंबित प्रचलन में नहीं होने का सत्यापन पश्चात् ही वेतन आहरण होगा एवं पी.एम. टी./यू.जी./ पी.जी. आदि में संलिप्त पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जावेगी।
13. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय संलग्न प्रारूप में 100 रू के स्टांप पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।
15. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
16. आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के संबंध में यदि भविष्य में किसी तरह की कोई शिकायत/आपत्ति प्राप्त होने पर जॉच के पश्चात् शिकायत सही पाये जाने पर आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
17. यह नियुक्ति आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के निर्णय के अधीन रहेगी।
18. म.प्र. शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–9/3/2005/नियम/चार, दि. 02.04.2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नही होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रं.एफ–5/1/2005/नियम/चार. दि. 02.04.2005 के अनुसार म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे तथा आप पर राष्ट्रीय पेंशन योजना नियम लागू होगी।
19. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाएं अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
20. नियुक्ति के समय आपको समस्त दस्तावेज की छायाप्रति जमा करनी होगी एवं मूलतः दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने होंगे।

//

(डॉ. अनंत टी. पवार)
**अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.महा. खण्डवा**

पृ. क्रमांक–987-95/स्थापना प्र.द्वि./2023 खण्डवा, दिनांक–16/02/2023

प्रतिलिपिः–
1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, नं.सिं.चौ.शा.चि.महा. खण्डवा।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल।
6. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, नं.सिं.चौ.शा.चि.महा. खण्डवा।
7. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय खण्डवा (मेडिकल बोर्ड)।
8. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा, नं.सिं.चौ.शा.चि.महा. खण्डवा।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(डॉ. अनंत टी. पवार)
**अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.महा, खण्डवा**